न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —173/2020(2020/00238)

अनवान : —

निहालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा

वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र जेसाराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. वीरसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री सतवीर बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एमएसआर सम्वत 2073—76 के वर्तमान खाता संख्या 71/67 के मुरब्बा न0 10 के किला न0 21, 22, मु0 न0 11 के किला न0 24, 25, मु0 न0 16 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 17 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मु0 न0 20 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 21 के किला न0 3 ता 8, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 37 की कुल 9.3610 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 शेरसिंह के नाम 125—5/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा जेसाराम की खातेदारी हुआ करती थी। जेसाराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी शेरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी शेरसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 शेरसिंह को वादी के दादा जेसाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 9 एमएसआर सम्वत 2049 के खाता संख्या 17/[illegible] रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी निहालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 9 एमएसआर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 71/67 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 9 एमएसआर सम्वत 2049 खाता संख्या 17/22 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत करणपुरा द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 9 एमएसआर सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 71/67 के मुरब्बा न0 10 के किला न0 21, 22, मु0 न0 11 के किला न0 24, 25, मु0 न0 16 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 17 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मु0 न0 20 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 21 के किला न0 3 ता 8, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 37 की कुल 9.3610 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 शेरसिंह के नाम 125–5/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एमएसआर सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 71/67 के मुरब्बा न0 10 के किला न0 21, 22, मु0 न0 11 के किला न0 24, 25, मु0 न0 16 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 17 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मु0 न0 20 के किला न0 1, 10, 11, मु0 न0 21 के किला न0 3 ता 8, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 37 की कुल 9.3610 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 शेरसिंह के नाम 125–5/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी निहालसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 शेरसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 वीरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि देय हो तो नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा बाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़